Gmail

OA-63/2025/EZ

NGT Kolkata <pgngtkolkata@gmail.com>

Fwd: Sopa9m:सारण जिला के वन प्रक ्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा सोनपुर पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा लेने एवं जल्द से जल्द यहाँ से तबादला करने के संबंध में। सारण जिला के दरियापुर- प्रखण्ड, के हल्दियां चवर वेटलैंड से मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ।

1 message

National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata <ngtjudicial-kolkata@gov.in> Mon, Mar 17, 2025 at 11:02 AM
To: pgngtkolkata <pgngtkolkata@gmail.com>

--
Regards/सादर

Judicial Section न्यायिक अनुभाग,
National Green Tribunal / राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
Eastern Zone Bench / पूर्वी क्षेत्रीय न्यायपीठ,
New Town, Kolkata / न्यू टाउन, कोलकाता - 700161
Ph./संपर्क - 033-2324 0089
Email: ngtjudicial-kolkata@gov.in

============ Forwarded message ============
From: Deepto Ghosh <registrarngt-kolkata@gov.in>
To: "National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata"<ngtjudicial-kolkata@gov.in>
Date: Mon, 17 Mar 2025 09:11:05 +0530
Subject: Fwd: Sopa9m:सारण जिला के वन प्रक ्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा सोनपुर पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा लेने एवं जल्द से जल्द यहाँ से तबादला करने के संबंध में। सारण जिला के दरियापुर- प्रखण्ड, के हल्दियां चवर वेटलैंड से मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ।
============ Forwarded message ============

============ Forwarded message ============
From: DINESH KUMAR SUMAN <dineshkr707954@gmail.com>
To: <presidentofindia@rb.nic.in>, <secy.president@rb.nic.in>, <pstopresident@rb.nic.in>, <us.petitions@rb.nic.in>, <connect@mygov.nic.in>, <narendramodi1234@gmail.com>, <amitshah.mp@sansad.nic.in>, "amitshah.bjp@gmail.com"<amitshah.bjp@gmail.com>, "kiran pallera"<kiranpallera333@gmail.com>, <contact@amitshah.co.in>, <visasupport@gov.in>, <jscpg-mha@nic.in>, <cmbihar-bih@nic.in>, <cs-bihar@nic.in>, <cm-secretariat-bih@gov.in>, <secy_cabsec@bihar.gov.in>, <dgp-bih@nic.in>, <secy-home-bih@nic.in>, <mefcc@gov.in>, <mos.akc@gov.in>, <secy-moef@nic.in>, <gyanesh.bharti@ias.nic.in>, <anuradha.singh@gov.in>, <digfrt-mef@nic.in>, <rajeev.j@gov.in>, <ashok.kum@nic.in>, <Ayush.saran@gov.in>, <mayank.bhatt@gov.in>, <rahul.19@gov.in>, <kalpesh.sharma@gov.in>, <nilabh.ranjan@gov.in>, <dgfindia@nic.in>, <adgfc-mef@nic.in>, <adgwl-mef@nic.in>, <tanmay.kumar-rj@gov.in>, <asnpg.mefcc@gov.in>, <sujit.baju@gov.in>, <sahnk@cag.gov.in>, <nameeta.prasad@gov.in>, <satyajit.mishra@nic.in>, <ramesh.pandey@nic.in>, <raghu.prasad@gov.in>, <or154.ifs@nic.in>, <rprasad.singh@nic.in>, <efd-bih@nic.in>, <pccfbihar@gmail.com>, <pccfdevbihar@gmail.com>, <apccfwpbihar@gmail.com>, <apccfcampa.bih@gmail.com>, <cwlwbihar@rediffmail.com>, <apccf.cc@gmail.com>, <ccfcc.bih@gmail.com>, <directorecologybihar@gmail.com>, <ccfhm-bih@gov.in>, <bspcb@yahoo.com>, <patnazoo@yahoo.com>, <jayantkumarjee@gmail.com>, <dhananjay.brindavan@gmail.com>, <mdbfdc@gmail.com>, <ccfit-bih@nic.in>, <ccfhrdbihar@gmail.com>, <ccfjfmbihar@gmail.com>, <hariyalimission@gmail.com>, <cfwildlifebihar@yahoo.co.in>, <cfwppatna@gmail.com>, <wpopatna@gmail.com>, <dfortpd@yahoo.in>, "defccofficial@gmail.com"<defc

cofficial@gmail.com>, <root@fdptr.b.nic.in>, <dcbihar@bihar.gov.in>, <urbansec-bih@nic.in>, <prsecy.ind_bihar@nic.in>, <rlrsec_bih@nic.in>, <secy.finance@bihar.gov.in>, <dscabinet78@gmail.com>, <rajbhashadeptt@gmail.com>, <qcgovtofbihar@gmail.com>, <archives-bih@gov.in>, <rescm-bi@nic.in>, <governorbihar@nic.in>, <secy-gs-bih@nic.in>, <secy-law-bih@nic.in>, <lawdepartmentbih@gmail.com>, <%20secylawbih2@gmail.com>, <%20secy-law-bih@nic.in>, <%20secy_law@bihar.gov.in>, <agridep-bih@nic.in>, <dmbfdcpatna@gmail.com>, <ccfwp.bih@hotmail.com>, <conservation@bnhs.org>, <f.hirkani@bnhs.org>, <info@bnhs.org>, <cec-mumbai@bnhs.org>, <j.doe@bnhs.org>, <jane.doe@bnhs.org>, <publications@bnhs.org>, <bnhs@bom4.vsnl.net.in>, <rahmani.asad@gmail.com>, <hr@bnhs.org>, <skimmercount@bnhs.org>, <sharma_drsuman@yahoo.com>, <bnhs@envis.nic>, <envis@bnhs.org>, <bnhs@bom4.vsnl.net>, <rxx@bnhs.org>, "pccf.climatechange@gmail.com"<pccf.climatechange@gmail.com>, <programmes@bnhs.org>, <post@wetlands.org>, <ramsar@ramsar.org>, <narendra.deshmukh@wetlandindia.com>, <communications@wetlands.org>, <sathishkumar@ncscm.res.in>, <ccf.cc.bih@gmail.com>, <dcfplanning.and@nic.in>, <adubey@wwfindia.net>, <aklakur@cife.edu.in>, <ramesh.motipalli@nic.in>, "rsinha@iitk.ac.in"<rsinha@iitk.ac.in>, "SANJAY DESHMUKH"<profsanjaydeshmukh@gmail.com>, "Vishwanath Waikhom"<wvnath@gmail.com>, <surabhimehrotra@gmail.com>, "tvr@iisc.ac.in"<tvr@iisc.ac.in>, <bd.shangningam@gov.in>, <c.singh@nic.in>, <pankaj.verma@nic.in>, <rameshmotipalli@nic.in>, <ps2mefcc@gov.in>, <Ayushsaran@gov.in>, <mos.kvs@gov.in>, <sukant.vatsa@gov.in>, <ys.rao@nic.in>, <dv.prabhakar@nic.in>, <harendrasingh.edu@nic.in>, <basant.kumar67@gov.in>, <tiwari.mk@gov.in>, <ak.pateshwary@gov.in>, <bv.rao67@nic.in>, <dk.vashisht64@nic.in>, <laxman.sd7@gov.in>, <sharad.negi@nic.in>, <rk.jindal@gov.in>, <panthari.1960@gov.in>, <sunita.chhabra@nic.in>, <asrrr.mefcc@gov.in>, <ashok.gupta67@nic.in>, <harish.roy@gov.in>, <dev.satya@gov.in>, <ab.pandit@ictmumbai.edu.in>, "Suresh Panwar"<spcppri@gmail.com>, <sanjay.bist@imd.gov.in>, <kuttydm@ias.nic.in>, <anandi.s@nic.in>, <igfwl-mef@nic.in>, <hk.lakhera65@gov.in>, <jrbhatt@nic.in>, <sk.anand72@gov.in>, <b.sikka@gov.in>, <suneesh.buxy@gov.in>, <kalpavriksh.info@gmail.com>, <kalpavriksh.delhi@gmail.com>, <kvbooks@gmail.com>, <kalpvrikshsevasamitihobhilai@gmail.com>, <lk.bokolia@nic.in>, <kanchanarya.25@gov.in>, <rccfmuzaffarpur-bih@gov.in>, <direcoenv-bih@gov.in>, <info@sbwl.in>, <venu@sbwl.in>, <sbwlib@wu.ac.at>, <adcites@wccb.gov.in>, <rddnr@wccb.gov.in>, <rddwr@wccb.gov.in>, <rdder@wccb.gov.in>, <ad.training@wccb.gov.in>, <jdadm@wccb.gov.in>, <addldir-wccb@gov.in>, "adcites.wccb@gov.in"<adcites.wccb@gov.in>, <sroers@wccb.gov.in>, <rddcr@wccb.gov.in>, <tawr@wccb.gov.in>, <publicgrievance-ngt@gov.in>, <admn.ngt@nic.in>, <rg.ngt@nic.in>, <judicial-ngt@gov.in>, <cs-ngt@gov.in>, <dr.ngt@nic.in>, "ps.chairmanngt@gmail.com"<ps.chairmanngt@gmail.com>, <ngt-genadmin@gov.in>, <registrarngt-kolkata@gov.in>, <ngt.filing@gmail.com>, <vivek@wti.org.in>, <sahil@wti.org.in>, <info@wti.org.in>, <dwii@wii.gov.in>, <Indianhelpline@hotmail.com>, <contact@wwfindia.net>, <lwadhwa@wwfindia.net>, <legacygifts@wwfus.org>, <mrktmail@wwfus.org>, <fundraisingteam@wwfus.org>, <membership@wwfus.org>, <mail@iucn.org>, <press@iucn.org>, <redlist@iucn.org>, <redlist.privacy@iucn.org>, <president@iucn.org>, <ali.raza@iucn.org>, <adriana.vidal@iucn.org>, <oceania@iucn.org>, <webmaster@iucnus.org>, <publications@iucn.org>, <iconmail@iucn.org>, <earo@iucn.org>, <asia@iucn.org>, <aditi.khurana@tnc.org>, <mmsclc@gmail.com>, <contact@sclc.edu.in>, <First.Last@iucn.org>, <sandeep.gaur@iucn.org>, <birdlife@birdlife.org>, <donors@birdlife.org>, <Sands@birdlife.org>, <birdlife-africa@birdlife.org>, <skimmer@birdcount.in>, <albert.schenk@birdlife.org>, <birdlife-india@birdlife.org>, <Christopher.Sands@birdlife.org>, <director@bnhs.org>, <contact@birdalliance.in>
Cc: <dm-saran.bih@nic.in>, <dfosaran@gmail.com>, <rccfmuzaffarpur@gmail.com>, <cfmuzaffarpur@gmail.com>
Date: Wed, 12 Mar 2025 10:43:29 +0530
Subject: Sopa9m:सारण जिला के वन प्रक ्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा सोनपुर पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा लेने एवं जल्द से जल्द यहाँ से तबादला करने के संबंध में। सारण जिला के दरियापुर- प्रखण्ड, के हल्दियां चवर वेटलैंड से मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ।
============ Forwarded message ============

क्षेत्रीय अधिकारी वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा, सोनपुर पिछले कई वर्षों से दिघवारा सोनपुर में ही अपना सेवा दे रहे हैं लेकिन लंबे समय से रहते- रहते वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा, सोनपुर ये अपना पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी पिछले कई वर्षो एवं वनरक्षी पदाधिकारी कई महीनों से यहाँ रहकर आजतक 37 एकड़ में फैले हल्दियां चवर वेटलैंड के आसपास एक पेड़ तक नहीं लगा पाएं। ऐसे अधिकारी को तुरंत तबादला करने कि कृपा करें।

---

4 attachments

Dighwara Sonpur.pdf
394K

Wetland 2.pdf
7328K

Letter No.277 (Haldiya Chaur, Saran, Draft Notification).pdf
5492K

bird photo.pdf
6811K

सेवा में   दिनांक- 12/03/2025

परम आदरणीय
नितीश कुमार जी
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय,
4 देशरत्न मार्ग, पटना बिहार: 800001

विषय:- सारण जिला के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा सोनपुर पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा लेने एवं जल्द से जल्द यहाँ से तबादला करने के संबंध में।
वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा सोनपुर एवं वनरक्षी पदाधिकारी दरियापुर इनके द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना, जलवायु परिवर्तन संभाग के अधिकारीक पत्र दिनांक- 04/03/2025 को निर्गत हुआ जिसे पूरी तरह से नजर अंदाज करने के संबंध में।

महाशय
महाशय मैं दिनेश कुमार सुमन, प्रखण्ड- दरियापुर, जिला- सारण, बिहार, 841101 है।
आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना, जलवायु परिवर्तन संभाग के पत्र दिनांक- 04/03/2025 को निर्गत हुआ लेकिन क्षेत्रीय वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा सोनपुर एवं वनरक्षी पदाधिकारी दरियापुर इस पत्र को अतिआवश्यक समझा ही नहीं और नजरअंदाज करते हुए सभी नियमों एवं शर्तों को बेच खा गए।
क्षेत्रीय अधिकारी वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा, सोनपुर पिछले कई वर्षों से दिघवारा सोनपुर में ही अपना सेवा दे रहे हैं लेकिन लंबे समय से रहते- रहते वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा, सोनपुर ये अपना पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जाल बिछा चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जैसे कि हल्दियां चवर वेटलैंड का विकास पूरी तरह से रुका हुआ है और मछुआरों शिकारियों के द्वारा दिन रात दर्जनों मशीनें चलाकर पूरी तरह से पानी निकाल कर (सूखाया) जा रहा है। और क्षेत्रीय अधिकारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं मछुआरों सब से बहुत मोटी रकम ली गई है। ये लोग मछुआरों को जाल से मछली मारने के लिए क्यूँ नहीं बोल रहे हैं। पानी को रहने दिया जाएं। इतने वर्षों से यहाँ रहकर भ्रष्टाचार के शिवाएं और कुछ भी हुआ ही नहीं है, हल्दियां चवर वेटलैंड के आसपास आजतक एक भी पेड़ पौधा तक नहीं लगाया गया है **यदि मछुआरों के द्वारा दर्जनों मशीनें चलाकर नहीं पानी निकाला गया तो वेटलैंड में 12 महीना पानी से भरा रहेगा है जिसे मछुआरों के द्वारा पिछले 2 महीनों से दर्जनों मशीनें चलाकर बहुत तेजी से पानी निकाल कर सुखाया जा रहा है। जिस पर क्षेत्रीय वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा सोनपुर एवं वनरक्षी पदाधिकारी दरियापुर पूरी तरह से शांति से हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। ऐसे पदाधिकारियों को यहाँ से जल्द से जल्द तबादला करने कि कृपा करें। जो वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी पिछले कई वर्षो एवं वनरक्षी पदाधिकारी कई महीनों से यहाँ रहकर आजतक 37 एकड़ में फैले हल्दियां चवर वेटलैंड के आसपास एक पेड़ तक नहीं लगा पाएं। ऐसे अधिकारी को**

तुरंत तबादला करने कि कृपा करें।
मछुआरों के द्वारा पूरी तरह से पानी सूखा देने के बाद प्रवासी पक्षी यहाँ से कहीं दूसरे झील में चली जाती है।
यदि हल्दियां चवर वेटलैंड के आस पास सहीं से पेड़ लगाया गया तो लगभग 100000 से अधिक पेड़ लगेगा लेकिन भ्रष्टाचार करने से इनको छुट्टी ही नहीं मिला कि ये लोग यहाँ 100000 पेड़ लगाएंगे, जिससे कुछ प्रतिशत जलवायु परिवर्तन में तो मदद मिलती। हल्दियां चवर वेटलैंड के चारों तरफ पेड़ पौधा लगाई जाएं और हल्दियां चवर वेटलैंड के विकास भी किया जाएं। जिससे कि राजधानी पटना के बहुत नजदीक होने के कारण यहाँ पक्षी प्रेमियों एवं पर्यटक स्थल का केंद्र बनेगा। **ये लोग भ्रष्टाचार के सिवाएं और कुछ कार्य को अतिआवश्यक समझते हीं नहीं है।** हल्दियां चवर वेटलैंड से प्रतिदिन 500 से अधिक प्रवासी पक्षियों का शिकार किया जाता है लेकिन आजतक ये लोग रोक नहीं लगाते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मछुआरा शिकारियों से भी मिले हुए हैं।

अत: आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए एवं अतिआवश्यक समझते हुए, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा सोनपुर एवं वनरक्षी पदाधिकारी दरियापुर को जल्द से जल्द तबादला करने कि कृपा करें।
एवं यहाँ पर जिम्मेदार पदाधिकारियों कि नियुक्ति किया जाएं। जिससे हल्दियां चवर वेटलैंड का सुचारू रूप से विकास हो सके।
आप सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूँ।
आपके द्वारा कि जाने वाली कार्रवाई कि प्रतीक्षा में।
आपका विश्वासी
दिनेश कुमार सुमन
प्रखण्ड- दरियापुर, जिला- सारण, बिहार, 841101
विभागीय पत्र:- **04/03/2025** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (जलवायु परिवर्तन संभाग) बिहार, पटना। संलग्न है।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(जलवायु परिवर्तन संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014
ई–मेल : ccwlbihar@bihar.gov.in/ ccfcc.bih@gmail.com

प्रेषक,

एस० चन्द्रशेखर, भा०व०से०,
मुख्य वन संरक्षक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सारण।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण।

विषयः– **सारण जिला के दरियापुर–प्रखण्ड, के हल्दियां चवर वेटलैंड से मछुआरों के द्वारा पूरी तरह से पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबंध लगाने के संबंध में।**

प्रसंग– Wetland Wing, MoEFCC, Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi का ईमेल दिनांक–18.02.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री दिनेश कुमार, प्रखण्ड–दरियापुर, जिला–सारण में अवस्थित हल्दिया चौर आर्द्रभूमि में मछुआरों के द्वारा पूरी तरह से पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर रोक प्रतिबंध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित शिकायत–पत्र की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (आर्द्रभूमि संभाग) का ईमेल–18.02.2025 द्वारा आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि शिकायत–पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Signed by
S. Chandrasekar
Date: 04-03-2025 10:34:46

(एस० चन्द्रशेखर)
मुख्य वन संरक्षक–सह–
राज्य नोडल पदाधिकारी,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– श्री दिनेश कुमार, हल्दियां चवर वेटलैंड, प्रखण्ड–दरियापुर, जिला–सारण, बिहार–841101, ईमेल– dineshkr707954@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

सेवा में   दिनांक- 11/03/2025

परम आदरणीय
नितीश कुमार जी
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय,
4 देशरत्न मार्ग, पटना बिहार: 800001

विषय:- सारण जिला के दरियापुर- प्रखण्ड, के हल्दियां चवर वेटलैंड से मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह पानी निकाल कर (**सुखा**) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में **।**

सारण हल्दियां चवर वेटलैंड से मछली मारने एवं सरकारी बंदोबस्ती स्थाई रूप से बंद करने के संबंध में**। एवं सारण हल्दियां चवर वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के संबंध में।**

महाशय

(हल्दियां चवर वेटलैंड को पटना मरीन ड्राइव के तर्ज पर विकसित करने कि कृपा कि जाएं। जिससे पर्यटक एवं पक्षियों प्रेमियों के लिए आर्कषण का केंद्र बनेगा।)

प्रखण्ड- दरियापुर, जिला- सारण (छपरा), बिहार, 841101, के हल्दियां चवर वेटलैंड के सरकारी बंदोबस्ती नहीं रूकने के कारण मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह से पानी निकाल कर वेटलैंड को सुखा दिया जाता है जिससे जलीय सुक्ष्म जीव एवं जलीय पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है और मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पानी पूरी तरह से निकाल देने पर परिस्थितिकी तंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हल्दियां चवर वेटलैंड का 90% से अधिक हिस्सा स्थाई रूप से पूरे वर्ष जल से संतृप्त (डूबा) रहता है। लेकिन मछुआरों के द्वारा उसे पूरी तरह से मछली मारने के लिए मशीन लगाकर सुखा दिया जाता है। सरकारी बंदोबस्ती स्थाई रूप से बंद करने कि कृपा कि जाएं।

(भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1,2,3, और 4 कि पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है इन मछुआरों के द्वारा।)

विलुप्त प्राय प्रवासी पक्षियों का बहुत तेजी से शिकार किया जा रहा है बिहार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सारण से अनुरोध है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मत्स्य विभाग के द्वारा हल्दियां चवर वेटलैंड के बंदोबस्ती समाप्त करते हुए यहाँ पर 5 पुलिसकर्मीयों को देखरेख के लिए स्थाई रूप से रखा जाएं।

हल्दियां चवर वेटलैंड में मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य पालन के लिए बंदोबस्ती कि जाती है जबकि हल्दियां चवर में आज तक कभी भी मत्स्य पालन हुआ ही नहीं है और होता ही नहीं है गंगा नदी, गंडक नदी से जो बाढ़ का पानी आता है उसी बाढ़ के पानी में मछलीयां आ जाती है और वही बाढ़ के पानी को देखकर बहुत दूर- दूर से दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षियां आती है और उसी पानी में रहती है और विचरण

करती है जिसे मछुआरों शिकारियों के द्वारा मछली मारने के लिए पूरी तरह से पानी को मशीन लगाकर सूखा देता है और सभी पक्षियों को मारकर व्यवसाय बना लेता है। वहाँ से मशीन लगाकर पानी निकालने पर अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाने कि कृपा करें।

हल्दियां चवर वेटलैंड का मत्स्य विभाग द्वारा बंदोबस्ती बंद कर के हल्दियां चवर वेटलैंड के चारों तरफ पेड़ पौधा लगा दिया जाए तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में बहुत मदद मिलेगी, जिससे यहाँ प्रवासी पक्षियों के ठहराव का केंद्र बनेगा जो भविष्य में पर्यटक एवं पक्षियों प्रेमियों के लिए आर्कषण का केंद्र बनेगा।

आज के आधुनिक जीवन में मानव जीवन को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव-विविधता का संरक्षण करें।

मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मछुआरों के द्वारा प्रतिदिन 400-500 के संख्या में हल्दियां चवर वेटलैंड से प्रवासी पक्षियों का अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है। हल्दियां चवर वेटलैंड से बंदोबस्ती एवं मछली मारने पर स्थाई रूप से बंद कर दिया जाए। हल्दियां चवर वेटलैंड का बंदोबस्ती होने कारण ही प्रवासी पक्षियों का बहुत तेजी से अवैध रूप से शिकार हो रहा है।

सारण जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया जाएं कि हल्दियां चवर वेटलैंड में बंदोबस्ती स्थाई रूप से बंद कर के मछली मारने पर तुरंत स्थाई रूप से रोक लगाई जाएं। जिससे प्रवासी पक्षियों सही से शांती से प्रवास एवं विचरण कर सके। जिससे प्रतिवर्ष लाखों कि संख्या में हल्दियां चवर वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों कि बढोत्तरी होगी।

हल्दियां चवर वेटलैंड पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखीं जाएं ताकि प्रवासी पक्षियों का अवैध रूप से शिकार नहीं किया जा सके।

हल्दियां चवर वेटलैंड के बंदोबस्ती एवं मछली मारने पर स्थाई रूप से बंद करने कि कृपा कि जाएं। जिससे प्रवासी पक्षियों का अवैध रूप से शिकार नहीं हो और पर्यावरण स्वक्ष हो सके।

अतः श्रीमान जी से विनम्र आग्रह है कि स्वयं स्थल पर पहुँच कर जांच कर के इसे अतिआवश्यक समझते हुए उक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करने कि कृपा करें। एवं हल्दियां चवर वेटलैंड को कड़ी से कड़ी निगरानी में रखने कि कृपा करें!

आपका विश्वासी

दिनेश कुमार
हल्दियां चवर वेटलैंड
प्रखण्ड- दरियापुर, जिला- सारण, बिहार, 841101

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(जलवायु परिवर्तन संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड), शेखपुरा,पटना–800014

ई–मेल : pccf.climatechange@gmail.com/ccfcc.bih@gmail.com

पत्रांक : पर्या० / जल० / परि०– 60 / 2023–277 / प०व०ज०प०

प्रेषक,

एन० जवाहर बाबू, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–14, दिनांक–5/6/2024

विषयः– **बिहार राज्य के सारण वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित हल्दीया चौर आर्द्रभूमि की अधिसूचना प्रारूप पर जनता द्वारा आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु सूचना सामग्री को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये हल्दीया चौर आर्द्रभूमि की अधिसूचना प्रारूप पर सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर निर्दिष्ट ई–मेल आई.डी. pccf.climatechange@gmail.com/ccfcc.bih@gmail.com पर जनता द्वारा आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न सूचना सामग्री को राज्य स्तर के प्रमुख हिन्दी (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर), उर्दू (कौमी तंजीम) एवं अंग्रेजी (Hindustaan Times एवं Times of India) दैनिक समाचार पत्रों में **दिनांक–11.06.2024** तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

5/6/2024

(एन० जवाहर बाबू)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 277 **पटना–14, दिनांक–**5/6/24

प्रतिलिपिः–श्री तरूण कुमार रंजन, आई.ई.सी. विशेषज्ञ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनु०–यथोक्त</u>

5/6/2024

(एन० जवाहर बाबू)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 277 **पटना–14, दिनांक–**5/6/2024

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार से अनुरोध है कि हल्दीया चौर आर्द्रभूमि, सारण के अधिसूचना प्रारूप को सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों तक विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

5/6/2024

(एन० जवाहर बाबू)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 277 **पटना–14, दिनांक–**5/6/2024

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, आई० टी०, बिहार, पटना से अनुरोध है कि हल्दीया चौर आर्द्रभूमि, सारण के अधिसूचना प्रारूप को सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों तक बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के बेवसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित कराने की कृपा की जाय।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

5/6/2024

(एन० जवाहर बाबू)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(जलवायु परिवर्तन संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014

ई–मेल : pccf.climatechange@gmail.com/ccfcc.bih@gmail.com

हल्दीया चौर आर्द्रभूमि, सारण के अधिसूचना प्रारूप प्रस्ताव पर सुझाव/आपत्ति प्राप्त किये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अन्तर्गत आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 की कंडिका (7) में निर्दिष्ट प्रावधान के शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य अन्तर्गत अवस्थित हल्दीया चौर आर्द्रभूमि, सारण के अधिसूचना प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव आमजनों से प्राप्त किया जाना है। इस निमित उक्त अधिसूचना प्रारूप प्रस्ताव पर सम्बद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर लिखित रूप से सुझाव/आपत्ति ईमेल आई०डी०–pccf.climatechange@gmail.com एवं ccfcc.bih@gmail.com पर भेज सकते हैं। अधिसूचना प्रारूप पर 60 दिनों के अन्दर प्राप्त आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् बिहार सरकार के राजपत्र में उक्त आर्द्रभूमि को अधिसूचित किया जाएगा।

हल्दीया चौर आर्द्रभूमि, सारण का अधिसूचना प्रारूप विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/forest/CitizenHome.html एवं https://bswa.bihar.gov.in// पर उपलब्ध है।

5/6/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना

GOVERNMENT OF BIHAR

Department of Environment, Forest and Climate Change

Notification No. Dated ....

The draft of the notification, which the Bihar State Wetland Authority (BSWA) proposes to issue in exercise of the powers conferred under rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 read with Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published for the information of the persons likely to be concerned or affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion, on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Government of Bihar, within the period so specified to the Member Secretary, Bihar State Wetland Authority, at email address: ccfcc.bih@gmail.com

Draft Notification

Notification No.

1. Whereas, there exists a water body known as Haldiya Chaur measuring an area of 377140 sq. mts., located in the village -Mathkakra, Ubhwa, Mohan Chak, Murar Chak, Bhagwan Chak, Panchayat- Manpura, Tehsil- Dariapur, District- Saran in the State of Bihar, which is considered to be critically significant for its ecosystem services and biodiversity values for the local communities and society at large (hereinafter referred to as the "Haldiya Chaur"); which is more particularly described in the Schedule I herein.

2. And whereas, it is considered that for sustaining these values, the ecological character of wetland ecosystem needs to be maintained by regulating developmental activities within the wetland as well as within its zone of influence;

3. And whereas, in terms of sub-rule (*1*) of rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, the Environment Department of Government of Bihar prepared a Brief Document for identifying the said as Haldiya Chaur wetland;

4. And whereas, based on the Brief Document Bihar State Wetland Authority (BSWA) in the 2nd meeting of the BSWA has recommended the Government of Bihar to notify the said Haldiya Chaur as wetland under the provisions of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

5. And whereas, the recommendation of the district Wetland Committee has been obtain from Divisional Forest Officer Vide Letter No. 874 dated 10.04.2024 to notify this area as a wetland under the provisions of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

6. Now therefore, the State of Bihar accepts the recommendation to declare the said wetland for being covered under the provisions of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

7. The extent of the wetland and its zone of influence is described in Schedule I of this notification;

8. Activities prohibited within the wetland and its zone of influence is listed in Schedule II of this notification. Such prohibitions shall not apply for areas designated under other Acts and Rules, and listed at para 1.2 (a), (b) and (c) of Schedule I. Relevant provisions of respective Acts and Rules shall apply in such areas.

9. Activities regulated within the wetland and their zones of influence, i.e. permitted only with permission of State Government are listed in Schedule III of this notification. Request for permissions can be made to the Member Secretary, Bihar State Wetland Authority, C/o Department of Environment, Forest and Climate Change, Aranya Bhawan, Shaheed Peer Ali Khan Marg Patna, Bihar- 800014 or at email –ccfcc.bih@gmail.com. Such regulations shall not apply for areas designated under other Acts and Rules, and listed at para 1.2 a), b) and c) of Schedule I. Relevant provisions of respective Acts and Rules shall apply in such areas.

10. Activities permitted within the wetland and its zone of influence is listed in Schedule IV of this notification. Such permissions shall not apply for areas designated under other Acts and Rules, and listed at para 1.2 a), b) and c) of Schedule I. Relevant provisions of respective Acts and Rules shall apply in such areas.

11. The Bihar State Wetland Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall monitor the enforcement of the provisions of this notification.

Schedule I

Location and Extent of Wetland and its Zone of Influence Wetland

The said Haldiya Chaur wetland is admeasuring an area of 377140 sq. mts., surveyed under the following Survey No.

Taluka/ Village	Survey No. /Thana No.	Approximate Area in (ha)	Survey No. / Thana No.	Approximate Area in (ha)	Survey No. / Thana No.	Approximate Area in (ha)
1	2	3	4	5	6	7
1. Mathkakra	1020/558	9.466				
2. Ubhwa	01/554	3.173	62/554	1.740	271/554	12.833
3. Mohan Chak	72/555	2.181				
4. Murar Chak	165/551	1.623				

5. Bhagwan Chak	274/552	3.132	5/383 /552	1.263	5/384 /552	2.303
Area outside S. No. (Roads and Nallah)			Nil			
Total area in (ha)			37.714			

1.2. Boundary of area already designated under provisions of other Acts and Rules

1.2 (a) Area designated under Indian Forest Act, 1927; Forest (Conservation) Act, 1980; State Forest Act and amendments there of.

No area of the proposed wetland known as Haldiya Chaur wetland fall under the above mentioned Act.

1.2 (b) Area designated under Wildlife (Protection) Act, 1972 and amendments there of.

No area of the proposed wetland known as Haldiya Chaur wetland fall under the above mentioned Act.

1.3. Zone of influence:

The Zone of influence of the said Haldiya Chaur wetland is admeasuring 377140 Sq. mts. surveyed under the following Survey No.

Taluka/ Village	Survey No. /Thana No.	Approximate Area in (ha)	Survey No. / Thana No.	Approximate Area in (ha)	Survey No. / Thana No.	Approximate Area in (ha)
1	2	3	4	5	6	7
1. Mathkakra	1020/558	9.466				
2. Ubhwa	01/554	3.173	62/554	1.740	271/554	12.833
3. Mohan Chak	72/555	2.181				
4. Murar Chak	165/551	1.623				
5. Bhagwan Chak	274/552	3.132	5/383 /552	1.263	5/384 /552	2.303
Area outside S. No. (Roads and Nallah)			Nil			
Total area in (ha)			37.714			

The map of wetland boundary of the said Haldiya Chaur wetland with 50 meters buffer and the Zone of influence is at Annexure I.

1.4. For the purpose of this wetland known as the said Haldiya Chaur the same is located within Revenue village of Mathkakra, Ubhwa, Mohan Chak, Murar Chak, Bhagwan Chak,District Saran, Bihar.

1.5. For the purpose of this wetland known as the said Haldiya Chaur the Zone of Influence is located within Revenue village Mathkakra, Ubhwa, Mohan Chak, Murar Chak, Bhagwan Chak,District Saran, Bihar.

Schedule II

List of activities prohibited within wetland boundary

1. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
2. Setting up of any industry and expansion of existing industries; with the exception of modernization of existing industries which will not affect the ecological balance of the wetland under consideration;
3. Manufacture or/and handling or/and storage or/and disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
4. Solid waste dumping;
5. Discharge of untreated wastes, chemical fertilizers, pesticides, effluents and any other chemicals effecting the ecological character of the wetland from industries, cities, towns, villages and other human settlements;
6. Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty meters from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
7. Poaching;
8. Extraction of soil, mud, rocks for commercial purpose.

[Any other activity other than mentioned above if taken up in the surrounding area that will have a direct or an indirect adverse effect on the ecological character of the wetland including water quality the same shall be prohibited.]

Schedule III

List of activities regulated within the boundary of wetland and its zone of influence and for which prior approval of [State Government/UT Administration/MoEFCC] is required to be obtained

Activity	Restrictions	
	Within the boundary of wetland	Within the zone of influence
Withdrawal of water	Restricted withdrawal beyond the quantities permitted by WRD.	Water used for agriculture and horticulture purposes in existing traditional practices will continue. However, any new permissions shall be granted by WRD & BSWA.
Cultivation of crops	Regulated by Directorate of Agriculture, Bihar. Existing traditional practices of Paddy cultivation will be allowed (except the core area wherein the water is present throughout the year) during the dry season, as Pre-Existing Rights and Privileges. Any activity that will adversely affect the ecological character of the wetland will not be allowed.	Existing traditional crop cultivation practices will be allowed. Any activity that will adversely affect the ecological character of the wetland will not be allowed.
Aquaculture	Regulated by Directorate of Fisheries, Bihar.	Regulated by Directorate of Fisheries, Bihar. Existing traditional practices may be permitted.

Approval of the BSWA shall be obtained for any other activity proposed to be conducted other than those mentioned above which may adversely affect the ecological character of the wetland.

Schedule IV

List of activities permitted within the boundary of wetland and its zone of influence

Activity	Levels and types not requiring permission	
	Within the boundary of wetland	Within the zone of influence
Religious practices	Existing religious practices will be allowed. Any activity that will adversely affect the ecological character of the wetland will not be allowed.	Permitted. Any activity that will adversely affect the ecological character of the wetland will not be allowed.
Withdrawal of water for domestic use	In case of water deficit and unavailability of drinking water, it is pumped and supplied to the village people for domestic drinking purpose. This will be managed and regulated by WRD.	Ongoing Traditional Use Permitted. Any new permissions will be granted only if approved by WRD and BSWA.
Plantation of trees	Prohibited.	Permitted.

Deciding best possible wise use of wetland without affecting or impacting its ecological character and services offered presently	Permitted.	Permitted.

Approval of the BSWA shall be taken for any other activity to be conducted other than those mentioned above.

The above draft notification of Haldiya Chaur for notifying it as wetland was approved in the meeting of District Wetland Committee, Saran held on 11/03/2024 at Saran, Bihar

Boundary Map of the Haldiya Chaur Wetland, Saran